

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वाद संख्या :- 02/237/2013



दिनांक 09.04.2018

रामसहाय बनाम रामजीलाल वगैरा  
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

आज पत्रावली इकजाई पेशी 18/01/2018 से मूलवाद के साथ न्यायालय में पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाई गई। आज वकील प्रार्थी या स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं है। आज उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी की अनुपस्थिति साबित है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी 212 आर.टी. एक्ट का अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ जमा लेख भंडार हो।

(प्रताप सिंह, आई.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)